पुलिस और आप

अपने अधिकारों को जानें

प्रथम सूचना रिपोर्ट

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) क्या होती है?

प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लिखित दस्तावेज होता है जो पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना मिलने पर तैयार किया जाता है। यह उस सूचना का रिपोर्ट होता है जो किसी अपराध के घटने पर सबसे पहले पुलिस तक पहुंचती है और इसी कारण इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है।

पुलिस सिर्फ संज्ञेय अपराध के मामलों में ही एफआईआर दर्ज करती है। संज्ञेय अपराध ऐसा गंभीर अपराध होता है जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार प्राप्त है और वह न्यायायिक मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकती है। यह स्मरण रहे कि यदि प्रथम सूचना में अपराध को संज्ञेय बताया गया है तो पुलिस को एफआईआर अवश्य दर्ज करनी चाहिए।

एफआईआर क्यों महत्वपूर्ण होता है?

एफआईआर आपराधिक न्याय की प्रक्रिया को शुरू करता है। प्रक्रियात्मक कानून के अनुसार थाना में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पुलिस मामले की जांच शुरू कर सकती है और यदि मामला अदालत तक पहुंचता है तो ट्रायल के दौरान एफआईआर की जांच की जाती है। अतः यह अनिवार्य है कि शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी में जितने भी संगत प्रथम सूचना हो सभी को एफआईआर में दर्ज किया जाना चाहिए।

यह एक सुस्थापित कानून है कि जब भी किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की प्रथम सूचना प्राप्त होती है एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य हो जाता है। पुलिस ऐसा नहीं कह सकती है कि एफआईआर दर्ज करने के पहले प्रथम सूचना को सत्यापित करने के लिए प्राथमिक जांच करना जरूरी है। (उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कुछ विशेष अपराध को

छोड़कर) पुलिस प्राथमिक जांच तभी कर सकती है जब प्रथम सूचना के आधार पर यह स्पष्ट न हो कि किया गया अपराध संज्ञेय है अथवा गैर–संज्ञेय, यह मामले–मामले पर निर्भर करता है। प्राथमिकी का उद्देश्य सिर्फ यह निर्धारित करना है कि क्या संज्ञेय अपराध घटित हुआ है न कि प्राप्त सूचना को सत्यापित करना है। जांच सात दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए (उच्चतम न्यायालय का निर्णय, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य)

एफआईआर कौन दर्ज करा सकता है?

कोई भी व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में जानता है, अपराध का पीड़ित व्यक्ति या अपराध का साक्षी या फिर कोई भी जिसे अपराध घटित की जानकारी हो, थाने जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है, कोई भी पुलिस अधिकारी जिसे संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है स्वयं ही एफआईआर दर्ज करा सकता है।

आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं यदिः

- आप वह व्यक्ति हैं जिसके खिलाफ अपराध की घटना हुई है;
- आपको उस घटना की जानकारी है;
- आपने घटना होते हुए देखा है।

एफआईआर दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया है?

एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में निर्धारित है। प्रत्येक बार एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस को इस प्रक्रिया का अनुपालन करना होता है। एफआईआर पुलिस को लिखित में या मौखिक रूप में दी जा सकती है।

- यदि आप मौखिक रूप से सूचना देते है तो पुलिस अधिकारी आपको सूचना को बयान करने के लिए कहेगा ताकि वह जहां तक संभव हो सके

वह आपके ही शब्दों में साधारण और स्पष्ट भाषा में बयान को लिख सके;

- सूचना देने वाले या शिकायत करने वाले एक व्यक्ति के रूप में आपका यह अधिकार है कि पुलिस द्वारा रिकार्ड की गई सूचना वह आपको पढ़कर सुनाए;

- एफआईआर तैयार होते ही उस पर सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, आपको इस पर तभी हस्ताक्षर करने चाहिए जब आप सुनिश्चित हो जाए कि पुलिस द्वारा रिकार्ड की गई सूचना आपके द्वारा दी गई सूचना से मिलती है। ध्यान रहे कि एफआईआर में वह सभी जानकारी हो जो आप जानते हैं।

- वैसे व्यक्ति जो पढ़ या लिख नहीं सकते, उन्हें एफआईआर पर तभी अपने बाएं अंगूठे का निशान देना चाहिए जब आप संतुष्ट हो जाएं कि बयान सही रिकार्ड किया गया है।

- आपका यह अधिकार है कि एफआईआर की प्रति आपको तत्काल और निःशुल्क मिले। यदि पुलिस आपको एफआईआर की प्रति नहीं देती है तो आप इसकी अवश्य मांग करें।

- पुलिस को थाने की डायरी में एफआईआर की तारीख और विषय अवश्य दर्ज करनी चाहिए।

लिंग आधारित अपराध की शिकार महिलाओं के लिए विशेष प्रक्रियाः

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) में कुछ लिंग आधारित यौन अपराधों के बारे में बताया गया है जिसके लिए एफआईआर दर्ज करने की विशेष प्रक्रिया है। यदि पीड़ित महिला स्वयं एफआईआर दर्ज करने पुलिस थाने आती है तो उसका एफआईआर किसी महिला पुलिस अधिकारी अथवा किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया

जाना चाहिए। यदि पीड़ित महिला मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है (अस्थायी तौर पर भी) तो एफआईआर उसके घर पर, उसकी पसन्द के किसी स्थान पर एक भाषान्तरकार, विशेष शिक्षक की उपस्थिति में ही दर्ज की जानी चाहिए तथा इसका वीडियो भी तैयार किया जाना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) के अंतर्गत बताए अपराधों पर एफआईआर दर्ज करने से इंकार करना किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए एक दंडनीय अपराध होगा। यदि कोई पुलिस अधिकारी इनमें से किसी भी अपराध पर एफआईआर दर्ज करने में असफल होता है तो वह छह महीने की अवधि के कारावास के दंड का हकदार होगा जिसे दो वर्ष की अवधि तक भी बढ़ाया जा सकता है, तथा उसे जुर्माना भी देना होगा। (भारतीय दंड संहिता की धारा 166क(ग))

शून्य एफआईआर

यदि सूचित किया हुआ अपराध किसी थाने के क्षेत्राधिकार के बाहर होता है तब भी कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकता है। वह एफआईआर (जिसे शून्य एफआईआर कहते हैं) दर्ज करने, एफआईआर रजिस्टर में प्रविष्टी करने और संबंधित थाने को उसे भेजने को बाध्य है। पुलिस आपको बताएगी कि उसने किस थाने को एफआईआर भेजा है।

आपको एफआईआर में क्या शामिल करनी चाहिए:

- अपना नाम और पता;
- उस घटना की तारीख, समय और स्थान जिसकी आप सूचना दे रहे हैं;
- घटना जैसे घटी है उसका सही–सही तथ्य साथ ही अपराध के घटित होने के तरीके का ब्यौरा।

उदाहरण के लिए शरीर पर लगे घाव या इस्तेमाल किए गए हथियार;

- घटना में शामिल व्यक्तियों के नाम और विवरण। यदि आप अभियुक्त के नाम नहीं जानते हैं तो उसकी पहचान करने में सहायक कोई ब्यौरा जैसे कि आयु, लिंग, शरीर का गठन, लम्बाई या पहचान की कोई विशेषता या उसके शरीर का कोई निशान या उसकी आवाज;
- गवाहों के नाम और ब्यौरा यदि कोई हो।

आपको क्या नहीं करना चाहिए?

- गलत शिकायत नहीं दर्ज करनी चाहिए या पुलिस को गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। गलत जानकारी देने या पुलिस को गुमराह करने पर कानून के अंतर्गत आप पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है (भारतीय दंड संहिता धारा 203);
- तथ्यों को बढ़ा–चढ़ाकर या तोड़–मरोड़कर न बताए;
- अस्पष्ट वक्तव्य न दें।

यदि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हैं?

- आप पुलिस अधीक्षक (एसपी) या पुलिस उप–महानिरीक्षक और पुलिस महा–निरीक्षक जैसे उच्च अधिकारियों से मिल सकते हैं और उनके ध्यान में अपनी शिकायत ला सकते हैं;
- आप संबंधित पुलिस अधीक्षक को अपनी लिखित शिकायत दे सकते हैं या डाक से भेज सकते हैं। यदि एसपी आपकी शिकायत से संतुष्ट है तो वह मामले की स्वयं जांच कर सकते हैं या जांच करने का आदेश दे सकते हैं;

- आप क्षेत्राधिकार वाली अदालत में संबंधित मैजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं;

- यदि पुलिस कानून लागू नहीं करती या इसे पक्षपातपूर्ण और भ्रष्ट तरीके से लागू करती है तो आप राज्य मानवाधिकार आयोग को शिकायत कर सकते हैं। यदि आपके राज्य में आयोग नहीं है तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं।

- यदि आपके राज्य में पुलिस शिकायत प्राधिकरण है तो उसे शिकायत कर सकते हैं। ये राज्य के विशेष निकाय होते हैं जो पुलिस के खिलाफ नागरिक की शिकायत की जांच करते हैं;

- यदि आप यौन अपराध से पीड़ित महिला है तो आप भारतीय दंड संहिता की धारा 166क(ग) के अंतर्गत संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती हैं।

आपको यह जानना चाहिए कि एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस जांच न करने का निर्णय ले सकती है। यदि पुलिस अधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि:

1. मामला गंभीर स्वरूप का नहीं है या

2. जांच करने के पर्याप्त आधार नहीं है।

तथापि पुलिस की जांच न करने के कारण को रिकार्ड करना चाहिए और आपको तत्काल सूचना देनी चाहिए कि जांच नहीं किया जाएगा। (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 157)

सी.एच.आर.आई. के संबंध में

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक अंतर्राष्ट्रीय गैर–लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्देश्य इस बात को बढ़ावा देना है कि राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को व्यवहारिक रूप से हासिल किया जाए। सी.एच.आर.आई. मानवाधिकार मानदंडों के अधिक–से–अधिक अनुपालन का पक्षधर है।

हमारे कार्यक्रम हैं:

- न्याय तक पहुंच (पुलिस सुधार)
- न्याय तक पहुंच (कारागार सुधार)
- सूचना तक पहुंच
- अंतर्राष्ट्रीय वकालत और प्रोग्रामिंग

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
तीसरी मंजिल, सिद्धार्थ चैम्बर,
55 ए, कालू सराय
नई दिल्ली–110016, भारत
फोनः +91-11-43180200
फैक्सः +91-11-26864688
ईमेलः info@humanrightsinitiative.org
वेबसाइटः http://www.humanrightsinitiative.org